भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2473
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>वेतन में अंतर</u>

2473. श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में समान स्तर के पदों पर कार्यरत भारतीयों और विदेशी कर्मचारियों के वेतन में भारी अंतर है;
(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): किसी कंपनी द्वारा बोर्ड स्तर पर देय पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 197 के साथ पठित उसके अंतर्गत बने नियमों द्वारा शासित किया जाता है, जो प्रबंधकीय कार्मिकों, चाहे वे भारतीय हों अथवा विदेशी, में पक्षपात नहीं करता। जहां तक कंपनी के बोर्ड स्तर से नीचे के कार्मिकों का संबंध है, चाहे भारतीय हों या विदेशी, उनका वेतन इस अधिनियम द्वारा नियमित नहीं किया जाता।

*****